

**कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)**

॥ ज्ञापन ॥

14 NOV 2024

जावक कं. 11712/24

उज्जैन, दिनांक -

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण  
जिला न्यायालय उज्जैन एवं  
तहसील न्यायालय बड़नगर/महिदपुर/नागदा/खाचरौद/तराना

विषय - आपराधिक मामलों में सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी किमिनल समन और वारंट जारी किये जाने बाबत।

संदर्भ - कार्यालयीन ज्ञापन कं. 7520 दिनांक 26.07.2024।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आदेश अनुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार जिला स्थापना उज्जैन में आपराधिक मामलों (किमिनल केसेस) में सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी समन और वारंट जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि न्यायालयों द्वारा समस्त किमिनल समन एवं वारंट सीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी नहीं किये जा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि न्यायालयों से जारी होने वाले किमिनल समन एवं वारंट सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तथा मेनयूअल रूप से जारी किये जाने हेतु आपके न्यायालय में पदस्थ संबंधित किमिनल रीडर एवं कोर्ट मुंशी को तैयार करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन, जिला उज्जैन.